1/5/18

आज 1.00 बजे कोर्ट के व्यस्त होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 10/7/18
को पेश हो

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार 201

26-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत
कैम्प में निपटान योग्य में पेश हुई। कैम्प
में उपस्थित पक्ष मण्डल को सुना गया।
पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध
रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
प्रार्थीगण का मूल वाद अधिकांश पर्याप्त
दस्तावेज अन्तराण एवं स्थायी निषेधाज्ञा

[illegible]
सहायक कलक्टर
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को बीमा किया जाता अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अन्तर्वर्ती निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक मूल आदेश से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम सरपन तहसील दौसा स्थित खसरा नं. 234 एवं 236 के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण जैसा हुआ है मौजूदा रूप में बना है तथा बाद रेकार्डल प्रविष्टि लेख मंजूर है एवं मूल वाद के निस्तारण तक। निर्णय सामान्य नोटिस अदालत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा के जरिये आम में तौर बाबत जारी हुआ माना।	

सहायक कलक्टर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट